

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर**  
 क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-प्रथम/2018/

दिनांक :

**आदेश**

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88) वित्त (नियम)/2008-i दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है।

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वी0तिथि	स्वीकृत एसीपी	
					पै बैण्ड	ग्रेड-पै
1	श्री मनोहर शर्मा, लिपिक ग्रेड द्वितीय। अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	03.11.1989	27 वर्ष	03.11.2016	9300-34800	4200
2	श्री अविनाश शर्मा, लिपिक ग्रेड द्वितीय। अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	23.09.1998	18 वर्ष	23.09.2016	9300-34800	3600
3	श्री बुद्धाराम सोलंकी, लिपिक ग्रेड द्वितीय। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।	09.10.1998	18 वर्ष	09.10.2016	9300-34800	3600
4	श्री राजकुमार गहलोत, लिपिक ग्रेड द्वितीय। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेलमगरा, राजसमन्द।	01.05.1998	18 वर्ष	01.05.2016	9300-34800	3600
5	श्री वेभव विन्सेन्ट, लिपिक ग्रेड द्वितीय, अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर।	05.10.2007	09 वर्ष	05.10.2016	5200-20200	2800

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

52/-  
 (रामनिवास जाट)  
 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
 राज0 जयपुर

दिनांक : 10/11/17

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी-प्रथम/2018/44

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द/पाली।
- अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर।
- अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
- संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
 राज0 जयपुर